नीतिगत/महत्वपूर्ण

संख्या-12 /2018/1698/46-3-18-3(36-ए)/2018

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उ.प्र., लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 28 सितम्बर, 2018**

विषय- पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित व पूर्ण भुगतान कराये जाने के उद्देश्य से, प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों एवं उ.प्र. सहकारी बैंक के माध्यम से, प्रदेश के निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को राज्य सरकार द्वारा साफ्ट लोन दिये जाने के संबंध में "चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित व पूर्ण भुगतान कराये जाने के उद्देश्य से, प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों एवं उ.प्र. सहकारी बैंक के माध्यम से, प्रदेश के निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को राज्य सरकार द्वारा साफ्ट लोन दिये जाने के संबंध में **"चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना"** लागू किये का निर्णय लिया गया है। इस योजना का प्रारूप निम्नानुसार है:-

1. **योजना का नाम- "चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना"**

2. **ऋण का उद्देश्यः-**

चीनी मिलों द्वारा ऋण का उपयोग गन्ना पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के गन्ना मूल्य बकाया के समय से भुगतान के लिए एवं संबंधित गन्ना पेराई सत्रों के गन्ना किसानों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य परामर्शी मूल्य की दर से देय गन्ना मूल्य का समय पर व्यवस्थापन करने के लिए किया जाएगा।

3. **ऋण योजना का स्वरूपः-**

(i) यह ऋण योजना निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु लागू होगी।

(ii) इस ऋण योजना के अन्तर्गत अधिकतम ऋण धनराशि रू.4,000 करोड़ होगी।

(iii) इस योजना हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति शासन स्तर से निर्गत करते हुए, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. के निवर्तन पर रखी जाएगी। योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र की चीनी मिलों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर परीक्षणोपरान्त, स्वीकृति हेतु पात्र आवेदन पत्रों के सापेक्ष देय ऋण की धनराशि, सम्बन्धित बैंकों को उनके स्तर से प्राप्त होने वाले मांग पत्र के अनुसार गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. के द्वारा आहरित करके उपलब्ध कराई जाएगी।

(iv) इस योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण पर 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा, जिसका आगणन ऋण वितरण की तिथि से किया जाएगा। ऋण की वापसी मासिक किश्तों में अधिकतम 05 वर्ष की अवधि में की जाएगी, जिसकी प्रथम मासिक किश्त माह जुलाई, 2019 से प्रारंभ होगी। समय से मासिक किश्तों में चीनी मिल द्वारा ऋण वापस न करने अथवा किसी किश्त के चूक/डिफाल्ट होने की स्थिति में, डिफाल्ट किश्त पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(v) ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक द्वारा चीनी मिलों से लिये गये 05 प्रतिशत साधारण ब्याज में से 01 प्रतिशत ब्याज प्रशासनिक शुल्क के रूप में कटौती करते हुए मूल धनराशि के साथ शेष 04 प्रतिशत ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को वापस कर दिया जाएगा। समय से ऋण वापस न करने अथवा किसी किश्त के चूक/डिफाल्ट होने की स्थिति में संबंधित चीनी मिल से लिये गये 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में से 02 प्रतिशत ब्याज प्रशासनिक शुल्क के रूप में कटौती करते हुए मूल धनराशि के साथ शेष 10 प्रतिशत ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को वापस कर दिया जाएगा।

4. <u>ऋण योजना की रूपात्मकताएं और विस्तारः-</u>

(i) इस ऋण योजना को प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों एवं उ.प्र. सहकारी बैंक के माध्यम से लागू किया जाएगा तथा ऋण लेने वाली चीनी मिल अपना आवेदन बैंक के स्तर पर प्रस्तुत करेगी।

(ii) सम्बन्धित बैंक, इस योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण एवं वापसी हेतु एक अलग खाता अनुरक्षित करेगी तथा ऋण वितरण उपरान्त, वितरण एवं वापसी का मासिक विवरण गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. को प्रेषित करेंगी। योजनान्तर्गत बैंक को उपलब्ध होने वाला फण्ड उसके व्यवसाय से अलग होगा एवं बैंक की भूमिका फण्ड मैनेजर के रूप में होगी।

(iii) ऋण लेने हेतु चीनी मिलों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने एवं इन आवेदनों के परीक्षण तथा स्वीकृति हेतु वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो बैंकों द्वारा अन्य ऋणों को दिये जाने हेतु बैंकिंग नियमों के अन्तर्गत अपनाई जाती है।

(iv) चीनी मिलों द्वारा ऋण हेतु प्रस्तुत आवेदन एवं सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणिकता की जाँच एवं उसके रखरखाव का उत्तरदायित्व ऋण स्वीकृत करने वाले सम्बन्धित बैंक का होगा।

(v) ऋण स्वीकृत करते समय बैंक द्वारा संबंधित चीनी मिल की 05 वर्षों की संवीक्षा कर, आगामी नकद प्रवाह, व्यवहार्यता बनाए रखना और ऋण आपूर्ति क्षमता, ऋण के कार्यसंचालन से संबंधित विभिन्न मानकों का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें समय-समय पर चीनी उद्योग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देश शामिल है।

(vi) यह ऋण सभी संगत बैंकिंग मानकों जिनमें समय-समय पर चीनी उद्योग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देश शामिल हैं, की शर्तों पर दिया जाएगा। यह ऋण जमानत द्वारा समर्थित होगा और ऋण की सुविधा लेने वाली चीनी मिलों के ऋणाधार, जिनमें व्यक्तिगत गारंटियां और संस्थापक की अन्य परिसम्पत्तियां, जो सभी ऋण भारों से मुक्त हो, सम्बन्धित बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(vii) ऋणों को, ऋण लेने वाली चीनी मिल की प्रतिभूतियों और संपार्श्विक से पिष्टप्रेषित किया जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत गारंटियां और प्रवर्तकों की अन्य परिसम्पत्तियाँ शामिल हैं, जो पृथक बैंकों द्वारा निर्णय लिए जाने वाले ऋणभारों से स्वतंत्र होती है।

(viii) इस शासनादेश एवं तत्क्रम में शासन स्तर से निर्गत की जाने वाली अधिसूचना के अनुसरण में सम्बन्धित बैंक द्वारा वे सभी ऋण जिसके लिए आवेदन 15 अक्टूबर, 2018 तक प्राप्त हो जाते हैं तथा 31 अक्टूबर, 2018 तक स्वीकृत कर दिये जाते हैं और 15 नवम्बर, 2018 तक संवितरित कर दिए जाते हैं, उन्हें ही इस ऋण योजना के अन्तर्गत कवर किया जाएगा, किन्तु इस योजना के अन्तर्गत जिन चीनी मिलों के मामले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में ग्राह्य हो चुके हों अथवा विचाराधीन हों एवं जिनके द्वारा पूर्व में लिए गये ऋण बैंक द्वारा एन.पी.ए. घोषित हो चुके हों, उन चीनी मिलों को ऋण स्वीकृत करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ix) इस योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए, आवेदन करने वाली चीनी मिलों को, स्वीकृत ऋण का उपयोग करते हुए पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान दिनांक 30 नवम्बर, 2018 तक सुनिश्चित करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(x) चीनी मिल इकाई/कम्पनी को स्वीकृत कुल ऋण की धनराशि, ऋण आवेदन की तिथि पर पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य की धनराशि के बराबर अथवा सम्बन्धित सत्र में देय कुल गन्ना मूल्य की धनराशि का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। ऋण का आवेदन करने हेतु निजी क्षेत्र की वही चीनी मिलें पात्र होंगी, जो आवेदन की तिथि से पूर्व संबंधित पेराई सत्र के देय गन्ना मूल्य का न्यूनतम 30 प्रतिशत् भुगतान कर चुकी हैं, जिसको संबंधित परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

(xi) ऋण की स्वीकृति के संबंध में, बकाया गन्ना मूल्य की गणना, चीनी मिल के बकाया गन्ना मूल्य से रु.4.50 प्रति कुन्टल की दर से मिलने वाली वित्तीय सहायता एवं दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के पश्चात् मिलने वाली कोजेन की धनराशि को समायोजित करते हुए की जायेगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र संबंधित उप गन्ना आयुक्त द्वारा जारी किया जायेगा।

(xii) योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण के सम्बन्ध में ऋण लेने वाली चीनी मिल, सम्बन्धित बैंक एवं सम्बन्धित परिक्षेत्र के उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त के मध्य, एक **त्रिपक्षीय अनुबन्ध** निष्पादित किया जाएगा, जो विधि एवं बैंकिंग नियमों के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर किया जाएगा तथा मिलों द्वारा उक्त धनराशि के सम्बन्ध में **क्षतिपूर्ति अनुबन्ध-पत्र (Indemnity Bond)** दिया जाएगा, जिसमें इस आशय की उद्घोषणा व उपबन्ध होगा कि निजी क्षेत्र की सम्बन्धित चीनी मिल के द्वारा इस ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु किये गये आवेदन एवं इसके साथ दाखिल किये गये अन्य सुसंगत अभिलेख पूर्णतः सही है तथा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है एवं ऋण की जमानत के रूप में प्रस्तुत परिसम्पत्तियां अन्य ऋण भारों से मुक्त है। चीनी मिल द्वारा लिये गये ऋण को, पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के गन्ना मूल्य के भुगतान के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में व्यय/उपयोग नहीं किया जाएगा एवं ऋण की धनराशि की पुनर्वापसी सम्बन्धित बैंक को नियमित रूप से की जाएगी। डिफाल्ट की स्थिति में योजना की शर्तों के अनुसार अधिरोपित चक्रवृद्धि ब्याज का भी भुगतान करेगी। चीनी मिल द्वारा योजना की सभी शर्तों का पालन किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त चीनी मिल को, स्वीकृत ऋण की वसूली के सम्बन्ध में, प्रचलित सुसंगत शासकीय अधिनियम/नियम/निर्देश एवं बैंकिंग नियम व निर्देश, समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों सहित, मान्य होंगे। ऋण की ब्याज सहित वसूली संबंधित बैंक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा ऋण की अदायगी में डिफाल्ट की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड एवं संबंधित बैंक के नियमों के तहत बैंक द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(xiii) सम्बन्धित बैंक, स्वीकृत ऋण की धनराशि चीनी मिल के **एस्क्रो एकाउंट** में हस्तान्तरित करेगी तथा यह धनराशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सीधे गन्ना किसानों के बैंक खाते में उनके बकाया गन्ना मूल्य के सापेक्ष भुगतान की जाएगी ताकि उक्त उद्देश्य हेतु धनराशि की उपयोगिता की निगरानी सरलता से की जा सके।

(xiv) मासिक किश्तों की अदायगी हेतु सम्बन्धित माह के अगले माह की 03 तारीख भुगतान तिथि होगी, किन्तु ऋणी चीनी मिल के पास पुनर्भुगतान अवधि के दौरान यदि नकद प्रवाह अधिक होता है, तो उस स्थिति में चीनी मिल द्वारा बकाया धनराशि की पुनर्वापसी हेतु निर्धारित समयावधि से पूर्व त्वरित/एकमुश्त भुगतान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(xv) ऋणी चीनी मिलों द्वारा निर्धारित मासिक किश्तों में वापस की गई धनराशि, सम्बन्धित बैंक द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा की जाएगी तथा सम्बन्धित चीनी मिल से वसूल की गई धनराशि को राजकोष में जमा कर दिये जाने की सूचना एवं सुसंगत अभिलेख/ट्रेजरी चालान आदि गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, उपलब्ध कराई जाएगी। मिलों द्वारा बैंको को अदा की गयी मूलधन एवं ब्याज की किश्तों की धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(xvi)डिफाल्ट की स्थिति में ऋण की अदायगी हेतु बैंक, नियत बैंक खाते के अतिरिक्त चीनी मिल के एस्क्रो एकाउन्ट को भी उपयोग कर सकता है तथा टैगिंग आदेश के अन्तर्गत गन्ना मूल्य भुगतान हेतु नियत प्रतिशत को छोड़कर शेष धनराशि को पुनर्भुगतान हेतु उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(xvii)इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की पुनर्वापसी सम्बन्धित चीनी मिल द्वारा लगातार 6 नियमित मासिक किश्तों में नहीं करने एवं अन्तिम किश्त की देय तिथि के 03 माह के भीतर सम्पूर्ण ऋण की वापसी नहीं होने की स्थिति में, ऋणी चीनी मिल के विरूद्ध उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-17(4) में गन्ना मूल्य की वसूली की भांति, अथवा राजकीय देयों की वसूली के सम्बन्ध में प्रचलित अन्य सुसंगत अधिनियम/नियम के अन्तर्गत, गन्ना आयुक्त, उ.प्र. द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी करते हुए चीनी मिल पर बकाया ऋण की धनराशि, 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भू-राजस्व की भांति वसूल की जाएगी।

(xviii)सम्बन्धित बैंक को प्रशासनिक शुल्क की कटौती का अधिकार उसी पुनर्भुगतान पर होगा जो बैंक के माध्यम से किया जायेगा। बकाया ऋण की धनराशि की अदायगी हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने की स्थिति में, इस धनराशि पर बैंक को कोई प्रशासनिक शुल्क देय नहीं होगा।

(xix)वसूली प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत भू-राजस्व की भांति वसूल की गई ऋण की धनराशि, गन्ना आयुक्त को प्रेषित की जायेगी, जिसे वित्त नियन्त्रक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(xx) इसके अतिरिक्त इस ऋण योजना में यथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अन्य सुसंगत शासकीय अधिनियम/नियम/निर्देश एवं बैंकिंग नियम व निर्देश, समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों सहित, लागू होंगे।

5. <u>उपयोगिता प्रमाण-पत्रः-</u>

संबंधित चीनी मिलें, संबंधित उप गन्ना आयुक्त से विधिवत् सत्यापित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि ऋण की राशि का उपयोग योजना में विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु कर लिया गया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. के कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2018 होगी।

2- उपरोक्तानुसार लागू की जा रही **"चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना"** के अन्तर्गत किये जाने वाले **त्रि-पक्षीय अनुबन्ध-पत्र** एवं चीनी मिलों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले **क्षतिपूर्ति अनुबन्ध पत्र (Indemnity Bond)** का विधीक्षित प्रारुप तथा योजना के संबंध में अधिसूचना (हिन्दी/अंग्रेजी में) शासन द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-12 /2018/ 1698(1)/46-3-18-3(36-ए)/2018, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/संस्थागत वित्त/सहकारिता/न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
2- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
3- सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- सचिव, भारत सरकार, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवनदीप बिल्डिंग, नई दिल्ली।
5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार (शर्करा), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
11- महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र., लखनऊ।
12- क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, गोमती नगर, लखनऊ।
13- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
14- मुख्य आंचलिक प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, **(लीड बैंक)**, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से प्रदेश में स्थित सभी बैंकों को इस योजना के प्राविधानों से अवगत कराने एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत करने के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश/गाइडलाइन निर्गत कराने का कष्ट करें।
15- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी बैंक लि., लखनऊ।
16- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
17- महासचिव, उ.प्र. शुगर मिल्स एसोसियेशन, चिन्टल हाउस, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस योजना को अपने स्तर से सभी सदस्य निजी चीनी मिलों को परिचालित/संसूचित करने का कष्ट करें।
18- समस्त परिक्षेत्रीय-उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
19- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20- समस्त अध्यासी, निजी क्षेत्र की चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश। **(द्वारा-गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ के माध्यम से)**
21- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
22- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

नरेश बहादुर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in